Research Paper IMPACT FACTOR VALUE : 6.247 | E-ISSN NO : 2455-295X | VOLUME : 12 | ISSUE : 5 | MAY 2026

बाल श्रम बनाम मानवाधिकार: श्रीगंगानगर का राजनीतिक विश्लेषण

कुसुम गोयल [1] | डॉ. जुल्फिकार [2]

[1] शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय, हनुमानगढ़ (राजस्थान).

[2] सह-आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय, हनुमानगढ़ (राजस्थान).

ABSTRACT:

इक्कीसवीं सदी में विकास और मानवाधिकारों की बढ़ती चर्चा के बावजूद बाल श्रम का अस्तित्व एक गंभीर चुनौती बना हुआ है, विशेषकर ग्रामीण और कृषि-प्रधान क्षेत्रों में। श्रीगंगानगर जिले के विशेष संदर्भ में यह अध्ययन दर्शाता है कि बाल श्रम केवल आर्थिक विवशता का परिणाम नहीं, बल्कि नीतिगत कमजोरियों, शासन की अक्षमता, सामाजिक स्वीकृति और शिक्षा प्रणाली की खामियों का संयुक्त परिणाम है।

इस शोध पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि भारतीय संविधान और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधियाँ बच्चों को शिक्षा, सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार प्रदान करती हैं, किंतु इन अधिकारों का वास्तविक क्रियान्वयन स्थानीय स्तर पर पर्याप्त रूप से नहीं हो पाता। श्रीगंगानगर में कृषि क्षेत्र और असंगठित श्रम बाजार बाल श्रम को बढ़ावा देते हैं, जबकि प्रशासनिक लापरवाही और निरीक्षण तंत्र की कमजोरी इस समस्या को नियंत्रित करने में बाधा उत्पन्न करती है।

राजनीतिक विश्लेषण के माध्यम से यह निष्कर्ष निकलता है कि बाल श्रम एक शासन की विफलता का उदाहरण है, जहाँ नीति एवं क्रियान्वयन के बीच अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। साथ ही, सामाजिक मानसिकता और सांस्कृतिक स्वीकृति भी इस समस्या को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बाल श्रम उन्मूलन के लिए प्रभावी नीति निर्माण, सख्त क्रियान्वयन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं सामाजिक जागरूकता अत्यंत आवश्यक हैं। यह अध्ययन यह स्थापित करता है कि बाल श्रम और मानवाधिकारों के बीच का संघर्ष केवल एक सामाजिक मुद्दा नहीं, बल्कि एक व्यापक राजनीतिक और नीतिगत चुनौती है, जिसके समाधान के लिए बहुआयामी तथा समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है।

KEYWORDS:

बाल श्रम, मानवाधिकार, शासन एवं नीति, सामाजिक-आर्थिक संरचना, सामाजिक न्याय।

PAPER ACCEPTED DATE:	PAPER PUBLISHED DATE:
23rd May 2026	24th May 2026

प्रस्तावना –

इक्कीसवीं सदी को वैश्वीकरण, तकनीकी उन्नति एवं मानवाधिकारों के संस्थानीकरण का युग कहा जाता है, जहाँ विकास की अवधारणा केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित न रहकर सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा मानवीय गरिमा के संरक्षण तक विस्तृत हो चुकी है। इस व्यापक परिप्रेक्ष्य में बाल श्रम जैसी समस्या का निरंतर बने रहना न केवल एक सामाजिक विसंगति, बल्कि विकास की अवधारणा पर ही प्रश्नचिह्न लगाता है। विशेष रूप से राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के संदर्भ में यह विषय एक बहुआयामी जटिलता को उजागर करता है, जहाँ आर्थिक संरचनाएँ, सामाजिक मान्यताएँ और राजनीतिक व्यवस्थाएँ परस्पर अंतःक्रिया करते हुए बाल श्रम की समस्या को बनाए रखती हैं। यह स्पष्ट हो जाता है कि बाल श्रम को केवल गरीबी या पारिवारिक विवशता के संदर्भ में समझना अपर्याप्त हैय इसके पीछे नीतिगत प्राथमिकताओं, शासन की प्रभावशीलता तथा राज्य की जवाबदेही जैसे गहरे राजनीतिक आयाम भी निहित हैं।

मानवाधिकारों की समकालीन अवधारणा प्रत्येक बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार प्रदान करती है, जिसे आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य की मूल जिम्मेदारी के रूप में देखा जाता है। किंतु जब वास्तविकता में बच्चे श्रम के दुष्चक्र में फँसे दिखाई देते हैं, तब यह अधिकार और वास्तविकता के बीच के अंतर्विरोध को उजागर करता है। श्रीगंगानगर जैसे कृषि–प्रधान और सीमावर्ती जिले में यह अंतर्विरोध ओर अधिक तीव्र रूप में सामने आता है, जहाँ उत्पादन संबंधों की संरचना, श्रम की मांग और सामाजिक–आर्थिक असमानताएँ बच्चों को श्रम में धकेलने का कार्य करती हैं। यहाँ यह प्रश्न अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है कि क्या राज्य द्वारा निर्मित नीतियाँ वास्तव में उन वर्गों तक पहुँच पा रही हैं जिनके लिए वे बनाई गई हैं अथवा वे केवल कागजी औपचारिकताओं तक सीमित रह जाती हैं।

राजनीतिक दृष्टिकोण से यह स्थिति नीति और क्रियान्वयन के अंतराल (policy–implementation gap) की एक स्पष्ट अभिव्यक्ति है। कानूनों और नीतियों का अस्तित्व तभी सार्थक होता है जब वे जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू किए जाएँ, किंतु जब प्रशासनिक तंत्र की निष्क्रियता, संसाधनों की कमी या राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव के कारण यह क्रियान्वयन कमजोर पड़ता है, तब बाल श्रम जैसी समस्याएँ जड़ पकड़ लेती हैं। श्रीगंगानगर के संदर्भ में यह देखा जा सकता है कि बाल श्रम के विरुद्ध कानूनी प्रावधानों के बावजूद निरीक्षण तंत्र की सीमाएँ, स्थानीय स्तर पर जागरूकता की कमी तथा सामाजिक स्वीकृति इस समस्या को समाप्त होने से रोकती हैं। यह परिदृश्य शासन की प्रभावशीलता और उसकी प्राथमिकताओं पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है।

बाल श्रम की अवधारणा और मानवाधिकारों का टकराव –

बाल श्रम का तात्पर्य केवल बच्चों द्वारा किसी कार्य में संलग्न होने से नहीं है, बल्कि उन सभी परिस्थितियों से है जहाँ बच्चों को ऐसे श्रम में लगाया जाता है जो उनके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं नैतिक विकास को बाधित करता है और उनके बचपन के अधिकारों का हनन करता है। मानवाधिकारों के समकालीन विमर्श में बाल अधिकार एक केंद्रीय स्थान रखते हैं, जिनके अंतर्गत प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ, सुरक्षा, और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(ए) (शिक्षा का अधिकार), अनुच्छेद 24 (बाल श्रम निषेध) तथा नीति–निर्देशक तत्वों में वर्णित प्रावधान इन अधिकारों की संवैधानिक आधारशिला प्रदान करते

हैं। इसके अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी विभिन्न संधियाँ बच्चों के अधिकारों की रक्षा का स्पष्ट दायित्व निर्धारित करती हैं।

इसके बावजूद वास्तविकता यह है कि इन अधिकारों और उनके क्रियान्वयन के बीच एक स्पष्ट अंतर विद्यमान है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में लगभग 1 करोड़ से अधिक बाल श्रमिक दर्ज किए गए थे, जबकि विभिन्न अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार यह संख्या अप्रत्यक्ष रूप से इससे अधिक मानी जाती है, विशेषकर असंगठित क्षेत्र में। राजस्थान जैसे राज्यों में, जहाँ ग्रामीण और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था प्रमुख है, वहाँ बाल श्रम की उपस्थिति अपेक्षाकृत अधिक देखी जाती है। श्रीगंगानगर जिले के संदर्भ में यह स्थिति विशेष रूप से कृषि क्षेत्र, छोटे व्यापारिक प्रतिष्ठानों और घरेलू कार्यों मे स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जहाँ बच्चों को सस्ते श्रम के रूप में उपयोग किया जाता है।

यह परिदृश्य 'अधिकार बनाम वास्तविकता' के अंतर्विरोध को उजागर करता है। एक ओर राज्य एंव अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए नीतियाँ और कानून बनाते हैं, वहीं दूसरी ओर जमीनी स्तर पर गरीबी, सामाजिक असमानता व शिक्षा की सीमित पहुँच इन अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करती है। यह टकराव इस तथ्य को रेखांकित करता है कि समस्या केवल कानूनों के अभाव की नहीं, बल्कि उनके प्रभावी तथा संवेदनशील क्रियान्वयन की है। जब तक शासन तंत्र, सामाजिक चेतना और आर्थिक संरचनाएँ समन्वित रूप से कार्य नहीं करेंगी, तब तक बाल श्रम एंव मानवाधिकारों के बीच यह अंतर्विरोध बना रहेगा।

श्रीगंगानगर की सामाजिक–आर्थिक संरचना और बाल श्रम –

श्रीगंगानगर जिला राजस्थान के उत्तरी भाग में स्थित एक प्रमुख कृषि–प्रधान क्षेत्र है, जिसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण 'राजस्थान का अन्न भंडार' भी कहा जाता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्यतः सिंचित कृषि पर आधारित है, जहाँ गेहूं, कपास, सरसों व ग्वार जैसी नकदी एवं खाद्यान्न फसलों का व्यापक उत्पादन होता है। कृषि कार्यों विशेषकर बुवाई, निराई–गुड़ाई और कटाई में श्रम की उच्च मांग रहती है, जिसके कारण सस्ते और आसानी से उपलब्ध श्रम की आवश्यकता बनी रहती है। इसी संदर्भ में आर्थिक रूप से कमजोर एवं सीमांत किसान परिवार अपने बच्चों को श्रम में शामिल करने लगते हैं, ताकि पारिवारिक आय में वृद्धि हो सके। विभिन्न सर्वेक्षणों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली आबादी का एक बड़ा हिस्सा (लगभग 65–70 प्रतिशत) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है, जबकि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की संख्या भी अत्यधिक है, जहाँ श्रम कान्नों का पालन अपेक्षाकृत कमजोर रहता है।

इस सामाजिक–आर्थिक संरचना में बाल श्रम एक संरचनात्मक समस्या के रूप में उभरता है, न कि केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक निर्णय के रूप में। गरीबी, सीमित रोजगार अवसर, असमान आय वितरण एंव शिक्षा की गुणवत्ता में कमी जैसे कारक मिलकर बच्चों को विद्यालय से दूर और श्रम की ओर धकेलते हैं। कई अध्ययनों में यह पाया गया है कि जिन परिवारों की आय न्यूनतम स्तर से नीचे होती है, वहाँ बाल श्रम की संभावना अधिक होती है, विशेषकर तब जब सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता। श्रोगंगानगर में भी यह देखा जाता है कि मौसमी कृषि कार्यों के दौरान विद्यालयों में उपस्थिति घट जाती है, जिससे बच्चों की शैक्षिक निरंतरता प्रभावित होती है। इस प्रकार, यह स्पष्ट होता है कि बाल श्रम केवल आर्थिक विवशता का परिणाम नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक–आर्थिक असंतुलन तथा नीतिगत सीमाओं का प्रतिफल है, जो बच्चों के समग्र विकास और उनके भविष्य को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।

राज्य–नीति और क्रियान्वयन की भूमिका –

राजनीतिक दृष्टिकोण से बाल श्रम मूलतः एक 'गवर्नेंस' (शासन) से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जहाँ राज्य की नीतियाँ, कानूनी ढांचा और उनके क्रियान्वयन की क्षमता निर्णायक भूमिका निभाती है। भारत में बाल श्रम को नियंत्रित करने हेतु बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) संशोधित अधिनियम, 2016, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा किशोर न्याय अधिनियम जैसे कई विधिक प्रावधान मौजूद हैं, जिनका उद्देश्य बच्चों को श्रम से मुक्त कर शिक्षा और संरक्षण प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त विभिन्न योजनाएँ जैसे –समग्र शिक्षा अभियान एंव बाल संरक्षण सेवाएँ भी इस दिशा में कार्यरत हैं। तथापि, इन नीतियों की प्रभावशीलता उनके वास्तविक क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। राष्ट्रीय स्तर पर श्रम निरीक्षण तंत्र की सीमाएँ स्पष्ट हैं। उदाहरण – प्रति लाख श्रमिकों पर निरीक्षकों की संख्या अपेक्षाकृत कम पाई गई है, जिससे असंगठित क्षेत्र में निगरानी कमजोर रहती है। श्रीगंगानगर जैसे जिलों में, जहाँ कृषि और लघु व्यवसायों का वर्चस्व है, यह कमी आर अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

स्थानीय स्तर पर यह देखा जाता है कि प्रशासनिक संसाधनों की कमी, निरीक्षण तंत्र की अनियमितता और सामाजिक जागरूकता के अभाव के कारण कानूनों का प्रभावी अनुपालन नहीं हो पाता। कई बार नियोक्ता और परिवार दोनों ही बाल श्रम का 'आवश्यक' मानते हैं, जिससे कानूनों के उल्लंघन के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती। विभिन्न अध्ययनों से यह संकेत मिलता है कि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत बाल श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा औपचारिक निगरानी तंत्र के दायरे से बाहर रहता है, जिससे उनकी पहचान व पुनर्वास की प्रक्रिया बाधित होती है। श्रीगंगानगर में भी कृषि आधारित मौसमी कार्यों और छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में बाल श्रम का यह 'अदृश्य स्वरूप' शासन के लिए चुनौती प्रस्तुत करता है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि समस्या केवल नीतियों के निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके प्रभावी, पारदर्शी और उत्तरदायी क्रियान्वयन की कमी ही बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में सबसे बड़ी बाधा बनती है।

मानवाधिकारों का उल्लंघन और अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य –

बाल श्रम को वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन के रूप में स्वीकार किया गया है, क्योंकि यह बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन के मूल अधिकारों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट (United Nations) द्वारा स्वीकृत संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन,1989 (United Nations Convention on the Rights of the Child, 1989) तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organization) के कन्वेंशन 138 (न्यूनतम आयु) और 182 (बाल श्रम के सबसे बुरे रूपों का उन्मूलन) इस दिशा में महत्वपूर्ण कानूनी और नैतिक आधार प्रदान करते हैं। भारत इन अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का हस्ताक्षरकर्ता होने के कारण बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए बाध्य है। वैश्विक रिपोर्टों के अनुसार आज भी विश्व में लगभग 16 करोड़ से अधिक बच्चे किसी न किसी रूप में श्रम में संलग्न हैं, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा विकासशील देशों में पाया जाता है। यह आँकड़ा इस बात का संकेत है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण के बावजूद जमीनी स्तर पर समस्या का समाधान अभी अधूरा है।

श्रीगंगानगर जैसे स्थानीय संदर्भ में यह वैश्विक परिप्रेक्ष्य ओर भी स्पष्ट हो जाता है, जहाँ बाल श्रम की उपस्थिति यह दर्शाती है कि अंतरराष्ट्रीय संधियाँ व राष्ट्रीय नीतियाँ अक्सर क्रियान्वयन के स्तर पर कमजोर पड़ जाती हैं। जब बच्चे कृषि कार्यों, ढाबों या छोटे व्यवसायों में कार्यरत दिखाई देते हैं, तो यह केवल स्थानीय आर्थिक विवशता का नहीं, बल्कि वैश्विक मानवाधिकार प्रतिबद्धताओं की सीमित प्रभावशीलता का भी प्रतीक बन जाता है। इस प्रकार, यह स्पष्ट होता है कि केवल अंतरराष्ट्रीय समझौते या नीतिगत घोषणाएँ पर्याप्त नहीं हैं बल्कि इनके साथ सुदृढ़ निगरानी, स्थानीय स्तर पर सशक्त क्रियान्वयन और निरंतर सामाजिक–राजनीतिक प्रतिबद्धता भी आवश्यक है, तभी मानवाधिकारों की वास्तविक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकतो है।

सामाजिक स्वीकृति और सांस्कृतिक दृष्टिकोण –

बाल श्रम के स्थायित्व का एक महत्वपूर्ण आयाम उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक स्वीकृति है, जो इसे केवल आर्थिक समस्या तक सीमित नहीं रहने देती, बल्कि एक गहरी सामाजिक संरचना का हिस्सा बना देती है। कई ग्रामीण और निम्न–आय वर्गीय परिवारों में बच्चों का श्रम करना 'परिवार की सहायता' या 'व्यावहारिक प्रशिक्षण' के रूप में देखा जाता है, जिससे यह धारणा विकसित होती है कि कार्य करना बच्चों के लिए स्वाभाविक तथा आवश्यक है। विभिन्न सामाजिक अध्ययनों में यह पाया गया है कि जिन समुदायों में शिक्षा का स्तर निम्न होता है, वहाँ बाल श्रम को लेकर जागरूकता भी अपेक्षाकृत कम होती है, परिणामस्वरूप यह एक स्वीकृत सामाजिक व्यवहार बन जाता है। श्रीगंगानगर जैसे कृषि–प्रधान क्षेत्रों में यह प्रवृत्ति ओर अधिक दिखाई देती है, जहाँ पारिवारिक श्रम पर निर्भरता अधिक होतो है और बच्चे बचपन से ही कार्य में शामिल हो जाते हैं।

राजनीतिक विज्ञान के दृष्टिकोण से यह स्थिति सांस्कृतिक वर्चस्व (Cultural Hegemony) का उदाहरण प्रस्तुत करती है, जहाँ समाज में प्रचलित मान्यताएँ एंव विचारधाराएँ इस प्रकार स्थापित हो जाती हैं कि वे शोषणकारी संरचनाओं को भी सामान्य और स्वीकार्य बना देती हैं। बाल श्रम के संदर्भ में यह वर्चस्व मानवाधिकारों की अवधारणा को कमजोर करता है, क्योंकि जब समाज स्वयं इस समस्या को गंभीरता से नहीं देखता तो नीतियों तथा कानूनों का प्रभाव भी सीमित हो जाता है। इस प्रकार, यह स्पष्ट होता है कि बाल श्रम के उन्मूलन के लिए केवल कानूनी उपाय पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि सामाजिक चेतना, शिक्षा और सांस्कृतिक परिवर्तन की भी अत्यंत आवश्यकता है, ताकि बच्चों के अधिकारों को समाज के प्रत्येक स्तर पर मान्यता व संरक्षण मिल सके।

शिक्षा प्रणाली और बाल श्रम का संबंध –

शिक्षा को बाल श्रम उन्मूलन का सबसे प्रभावी और दीर्घकालिक साधन माना जाता है, क्योंकि यह न केवल बच्चों को कार्य से दूर रखती है, बल्कि उन्हें सशक्त नागरिक बनने की दिशा में भी अग्रसर करती है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE) क माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एंव अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित की गई है, किंतु इसके बावजूद जमीनी स्तर पर अनेक चुनौतियाँ बनी हुई हैं। विभिन्न राष्ट्रीय सर्वेक्षणों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में माध्यमिक स्तर तक पहुँचने से पहले ही बच्चों के विद्यालय छोड़ने (dropout) की दर उल्लेखनीय रूप से अधिक है, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में। श्रीगंगानगर जिले में भी यह प्रवृत्ति देखी जाती है कि कृषि के व्यस्त मौसमों में विद्यालयों में उपस्थिति घट जाती है, जिससे बच्चों की शैक्षिक निरंतरता बाधित होती है और वे धीरे–धीरे श्रम की ओर उन्मुख हो जाते हैं।

इसके अतिरिक्त शिक्षा की गुणवत्ता, आधारभूत संरचना एंव शिक्षकों की उपलब्धता जैसे कारक भी इस समस्या को प्रभावित करते हैं। जब विद्यालयों में पर्याप्त संसाधन, प्रशिक्षित शिक्षक और प्रेरक वातावरण का अभाव हाता है, तब बच्चों व अभिभावकों दोनों के लिए शिक्षा का आकर्षण कम हो जाता है। कुछ अध्ययनों में यह पाया गया है कि जिन क्षेत्रों में विद्यालयों की गुणवत्ता बेहतर होती है, वहाँ बाल श्रम की दर अपेक्षाकृत कम होती है। इस प्रकार, यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा व बाल श्रम के बीच एक प्रत्यक्ष और गहरा संबंध है । जहाँ शिक्षा मजबूत होती है, वहाँ बाल श्रम स्वतः कम होता है। अतः श्रीगंगानगर के संदर्भ में यह आवश्यक है कि शिक्षा प्रणाली को न केवल सुलभ, बल्कि गुणवत्तापूर्ण और आकर्षक बनाया जाए, ताकि बच्चे विद्यालय से जुड़े रहें तथा श्रम स दूर रह सकें।

राजनीतिक इच्छाशक्ति और जवाबदेही का अभाव –

बाल श्रम जैसी जटिल समस्या का समाधान केवल नीतियों और कानूनों के निर्माण से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए सुदृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति तथा प्रभावी जवाबदेही की आवश्यकता होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह अपेक्षा की जाती है कि जनप्रतिनिधि और नीति–निर्माता समाज के कमजोर वर्गों के हितों को प्राथमिकता देंगे, किंतु व्यवहार में यह देखा जाता है कि बाल श्रम जैसे मुद्दे अक्सर राजनीतिक एजेंडे में पीछे रह जाते हैं। विभिन्न राजनीतिक विश्लेषणों में यह तथ्य सामने आया है कि चुनावी राजनीति में वे मुद्दे अधिक प्रमुखता पाते हैं, जो तात्कालिक लाभ या वोट बैंक को प्रभावित करते हैं, जबकि बाल अधिकार, शिक्षा और श्रम सुधार जैसे विषय अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता प्राप्त करते हैं।

श्रीगंगानगर जिले के संदर्भ में भी यह स्थिति स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है, जहाँ विकास की चर्चाएँ प्रायः कृषि, सिंचाई और आधारभूत ढाँचे तक सीमित रह जाती हैं, जबकि बाल श्रम एंव शिक्षा की गुणवत्ता जैसे मुद्दे गौण हो जाते हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि राजनीतिक स्तर पर इस समस्या को लेकर पर्याप्त गंभीरता तथा प्रतिबद्धता का अभाव है। जब तक शासन तंत्र में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और संवेदनशीलता को सुदृढ़ नहीं किया जाएगा, तब तक नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन संभव नहीं हो पाएगा। अतः यह आवश्यक है कि बाल श्रम को केवल सामाजिक समस्या न मानकर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दे के रूप में देखा जाए, ताकि नीति–निर्माण और उसके क्रियान्वयन दोनों स्तरों पर ठोस व दीर्घकालिक परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके।

समाधान और सुधार की संभावनाएँ–

बाल श्रम की समस्या का प्रभावी समाधान एक समन्वित तथा बहुआयामी रणनीति के माध्यम से ही संभव है, जिसमें राज्य, समाज, बाजार और नागरिक संस्थाओं की साझा भागीदारी सुनिश्चित हो। नीतिगत स्तर पर यह आवश्यक है कि बाल श्रम निषेध से संबंधित कानूनों का कठोर एंव पारदर्शी क्रियान्वयन किया जाए, विशेषकर असंगठित क्षेत्र में जहाँ निगरानी अपेक्षाकृत कमजोर रहती है। साथ ही, शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाना अत्यंत आवश्यक है। जैसे गुणवत्तापूर्ण विद्यालय, प्रशिक्षित शिक्षक, डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता और मध्याह्न भोजन जैसी योजनाओं का प्रभावी संचालन, जिससे बच्चों का स्कूल में बनाए रखा जा सके। विभिन्न अध्ययनों से यह संकेत मिलता है कि जिन क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ ,जैसे – प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), छात्रवृत्तियाँ व कौशल विकास कार्यक्रम आदि सफलतापूर्वक लागू होती हैं, वहाँ बाल श्रम की दर में उल्लेखनीय कमी आती है। श्रीगंगानगर के संदर्भ में भी यह आवश्यक है कि कृषि आधारित परिवारों को वैकल्पिक आय के अवसर और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए, ताकि वे बच्चों को श्रम में न धकेलें।

इसके साथ ही, सामाजिक जागरूकता और मानसिकता में परिवर्तन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब तक समाज बाल श्रम को एक 'सामान्य' या 'आवश्यक' व्यवहार के रूप में देखता रहेगा, तब तक कानूनी उपाय सीमित प्रभाव ही डाल पाएँगे। गैर–सरकारी संगठनों, स्थानीय समुदायों और स्वयं सहायता समूहों की सक्रिय भागीदारी से बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। कई सफल मॉडलों में यह देखा गया है कि सामुदायिक निगरानी और जनभागीदारी से बाल श्रम के मामलों की पहचान और रोकथाम अधिक प्रभावी होती है। इस प्रकार, यदि राज्य की नीतियाँ, प्रशासनिक क्रियान्वयन, शिक्षा सुधार और सामाजिक चेतना आदि सभी एक साथ कार्य करें, तो बाल श्रम जसी जटिल समस्या को काफी हद तक नियंत्रित एंव समाप्त किया जा सकता है।

निष्कर्ष –

समग्र विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि श्रीगंगानगर जिले में बाल श्रम और मानवाधिकारों के बीच का संघर्ष एक जटिल, बहुआयामी एंव गहरी राजनीतिक प्रकृति की समस्या है। यह केवल आर्थिक विवशताओं का परिणाम नहीं, बल्कि राज्य की नीतियों, उनके क्रियान्वयन की सीमाओं, सामाजिक संरचनाओं और सांस्कृतिक मान्यताओं के सम्मिलित प्रभाव का प्रतिफल है। उपलब्ध आंकड़ें व अध्ययन यह दर्शाते हैं कि जहाँ शिक्षा की गुणवत्ता, सामाजिक सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदही मजबूत होती है, वहाँ बाल श्रम की प्रवृत्ति स्वतः कम हो जाती है। इसके विपरीत, जहाँ ये तत्व कमजोर होते हैं, वहाँ बाल श्रम एक स्थायी सामाजिक समस्या के रूप में उभरता है।

अतः यह आवश्यक है कि इस समस्या को केवल सामाजिक कल्याण के दृष्टिकोण से न देखकर एक व्यापक राजनीतिक और नीतिगत चुनौती के रूप में समझा जाए। प्रभावी समाधान के लिए राज्य को अपनी नीतियों को अधिक संवेदनशील और जवाबदेह बनाना होगा, साथ ही समाज को भी अपनी भूमिका निभाते हुए बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा। बाल श्रम का उन्मूलन केवल एक विकासात्मक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक नैतिक व संवैधानिक दायित्व है, जो समावेशी और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए अनिवार्य है। जब तक प्रत्येक बच्चे को उसका अधिकार शिक्षा, सुरक्षा एंव गरिमापूर्ण बचपन प्राप्त नहीं होता, तब तक विकास की कोई भी अवधारणा पूर्ण नहीं मानी जा सकती।

REFERENCES

1. भारत का संविधान, अनुच्छेद 21(ए), 24, 39(ई) एवं 39(एफ)।

2. बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016।

3. UNICEF- The State of the Worlds Children Reports.

4. International Labour Organization- Global Estimates of Child Labour Reports.

5. Census of India, 2011 एवं नवीनतम उपलब्ध आँकड़े।

6. National Sample Survey Office, श्रम एवं रोजगार से संबंधित रिपोर्ट्स।

7. Ministry of Labour and Employment, वार्षिक रिपोर्ट्स एवं नीतिगत दस्तावेज।

8. National Commission for Protection of Child Rights, बाल अधिकार संबंधित रिपोर्ट्स।

9. ड्रेज, जीन एवं सेन, अमर्त्य (2013), An Uncertain Glory: India and Its Contradictions.

10. शर्मा, आर. (2018). "भारत में बाल श्रम की समस्या और समाधान",सामाजिक विज्ञान जर्नल।